

2505
22

पक्षाकारान के अधिवक्ता उपस्थित
 उभयपक्ष के अधिवक्तागण ने जाहिर
 किया कि कति. कलक्टर फलोदी
 न्यायालय में विचारार्थीक रागच
 कोपील सं. 02/2022 प्रेसासिद अनाम
 मनूचंद की सुनवाई के लिए कोपर
 जिला कलक्टर प्रथम, जो द्युरे - यथ्यल
 लशकार



~~को स्थानान्तरित करने पर उनकी
सहमति है।~~

~~हमने पञ्जावली का विवेकानन्द
दिया। प्राथमिक ने प्रार्थनापत्र में
मुख्य कथन दिया कि कोविड गाइड
लाइन के बाद नए जनवरी माह में
दो तारीख रख कर तारीख पेशी
10.02.2022 रखी है तथा मुला मामलत में
भी प्रार्थनापत्र द्वारा लागू पेश कर
दिया तथा अपीलार्थीगण के रेशपोपुत्र
के नोटिस पेश करने से को नोटिस
रेशपोपुत्र द्वारा पेश किये गये अर्ह
स्पष्ट होना है कि अपर जिला कलक्टर
फलोदी इस पञ्जावली के प्रार्थनापत्र
आपीलार्थीगण के विवेकानन्द नियम करने
का मन बना रखा है।~~

~~पीडाशीन अधिकायी (कृषि-1)
से नृध्यात्मक रिपोर्ट जारी पत्रांक 313
दिनांक 21.02.22 प्राप्त है जिसमें बतलाया
कि पीडाशीन अधिकायी किसी के साथ
कोल भावना नहीं रखते हैं। वर्ष 2018
में अपील प्राप्त होने पर स्थगन
को देखा दिया गया, जो लदी है। राजबच
मण्डल में अपील प्राप्त होने पर व
अपील पञ्जावली मांगने पर अपील को
र (राजबच मण्डल को भेजी गई। रिपोर्ट में
यह भी बताया कि अपील पुनः इस कश्च~~

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

~~के साथ प्रेषित की गई है कि दोनों पक्षों
को सुनकर गुणावगुण पर निर्णय लिया
जावे। कोर्ट में समन की कार्यवाही
चल रही है तथा सुनवाई केन्द्र प्रकर जें
की तरह की जाती है परन्तु इस न्यायालय
की पीठासीन अधिकारी से घृणा हो तो
केन्द्र न्यायालय से इस कोर्ट को
स्थानान्तरण किया जाता है तो कोई
कोर्ट नहीं है।~~

~~चूँकि वर्तमान में सभी न्यायालयों
में सामान्य रूप से सुनवाई हो रही है
कोर्ट पीठासीन अधिकारी से की तथात्मबु
रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए कोर्ट को
सुनवाई के लिए केन्द्र न्यायालय स्थानान्तरण
करना उचित नहीं समझते हैं, परिणामस्वरूप
प्राथमिकता को प्राथमिकता पर निश्चय किया
जाता है कोर्ट की प्राथमिकता को
जिला कुलकर्त फलोही न्यायालय को
सुनवाई प्रेषित हो। पंचांग की फल
सुमार होकर दायजिल उपर हो।~~